3500 करोड़ का निवेश 14 हजार रोजगार सृजन

ग्लोबल टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग हब एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए दिल्ली में हुआ एमओयू

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 30 जुलाई. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत हर क्षेत्र में नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है. भारत सरकार के संचार मंत्रालय और मप्र सरकार के बीच ग्वालियर में ग्लोबल टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग हब एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन निर्माण के लिए नई दिल्ली में हुआ एमओयू ऐतिहासिक कदम है.

अब मप्र की धरती पर निर्मित संचार उपकरण देश-दुनिया को उपलब्ध होंगे. ये उपकरण मेक इन इंडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी के फेथ इन मध्यप्रदेश का जरिया बनेंगे. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि उद्योगपतियों के साथ हुई राउंड टेबल मीटिंग में 3500 करोड़ रूपये के निवेश तथा 14 हजार से अधिक रोजगार सृजन की संभावना है.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव गुरूवार को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन के एमओयू हस्ताक्षर समारोह को संबोधित कर रहे थे. केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया तथा केंद्रीय संचार राज्य मंत्री पीएस. चंद्रशेखरन भी मौजूद थे.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मप्र वह राज्य है, जिस पर देश और दुनिया का विश्वास बढ़ता जा रहा है. उन्होंने कहा कि ग्वालियर की धरती पर ग्लोबल टेलीकॉम मैन्यूफैक्चरिंग जोन के रूप में एक नए दौर की शुरुआत हो रही है.

आज भारत डिजिटल टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक मेन्यूफैक्चरिंग, डिफेंस सेक्टर में नए कीर्तिमान गढ़ रहा है. ग्वालियर में ग्लोबल टेलीकॉम मैन्यूफैक्चरिंग जोन की शुरुआत से निर्यात बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिलेगी.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वर्तमान में टेलीकॉम सेक्टर के माध्यम से स्मार्ट एआई मेन्यूफैक्चरिंग, डिफेंस, हेल्थ और गुड गवर्नेंस के क्षेत्र में आधारशिला तैयार हो चुकी है. आज देश में आर्टीफिशियल इंटेलिजेंस आधारित नेटवर्क से टेलीकॉम सेक्टर को नई ऊंचाइयां मिली हैं.

भारत दूरसंचार विनिर्माण, निर्यात का केंद्र बनेगा : सिंधिया

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि भारत का लक्ष्य केवल दूरसंचार उपकरणों का उपभोक्ता बनना नहीं, बल्कि उनका डिजाइन, विकास और निर्माण भारत में कर उन्हें दुनिया के विभिन्न देशों तक निर्यात करना है. उन्होंने कहा कि यह टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया और एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया के विजन को साकार करेगा. इससे भारत वैश्विक दूरसंचार विनिर्माण और निर्यात के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित होगा तथा आत्मनिर्भर भारत अभियान को नई गति मिलेगी.

मंडलोई ने दिया प्रेजेंटेशन

मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव तथा औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन एवं एमएसएमई नीरज मंडलोई ने प्रेजेंटेशन में मप्र में भारत सरकार के औद्योगिक पार्कों के सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड एवं तीव्र प्रगति को रेखांकित किया. उन्होंने बताया कि यह जोन अत्याधुनिक, विश्वस्तरीय अवसंरचना के साथ ऐसी साइट-अर्थव्यवस्था प्रदान करेगा जो परियोजना की व्यवहार्यता को बेहतर बनाती है. मप्र में मात्र एक रूपये के सांकेतिक प्रीमियम पर भूमि, 30 वर्षों के लिये एक रूपये प्रति वर्ग मीटर की स्थिर वार्षिक लीज रेंट, 100 फीसदी स्टाम्प ड्यूटी प्रतिपूर्ति, 30 वर्षों में संग्रहीत विकास शुल्क, प्रथम पांच वर्षों के लिये 2 रूपये प्रति यूनिट की विद्युत दर बताया.

आत्महत्या मामले में पति को 10 वर्ष का सश्रम कारावास

धार, 30 जुलाई (वार्ता) मध्यप्रदेश के धार जिले की एक अदालत ने विवाहिता को दहेज के लिए प्रताड़ित कर आत्महत्या के लिए मजबूर करने के मामले में आरोपी पति को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है.

अतिरिक्त शासकीय लोक अभियोजक शरद कुमार पुरोहित ने बताया कि प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश एवं द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश राहुल वर्मा की अदालत ने आरोपी अनिल निवासी विनायक विहार कॉलोनी, पीथमपुर को भारतीय दंड संहिता की धारा 304-बी (दहेज मृत्यु) एवं 498-ए (क्रूरता) के तहत दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई.

मृतका छाया का विवाह 11 दिसंबर 2020 को अनिल के साथ हुआ था. विवाह के लगभग एक वर्ष बाद से आरोपी पति, सास, ससुर, जेठ और जेठानी कथित रूप से प्लॉट खरीदने के लिए तीन लाख रुपये दहेज की मांग करने लगे. मांग पूरी नहीं होने पर छाया को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था. प्रताड़ना से परेशान होकर छाया ने 24 सितंबर 2022 को सल्फास की गोली खा ली, जिससे उसकी मृत्यु हो गई.

बेकाबू वाहन ने गौवंशों को कुचला

6 गायों की मौके पर मौत अन्य 4 गंभीर रूप से घायल

शहडोल, 30 जुलाई . जिले से रोंगटे खड़े कर देने वाला हिट एंड रन का मामला सामने आया है. जहां एक अज्ञात बेकाबू वाहन ने सड़क पर मौजूद गौवंशों को बेरहमी से कुचल दिया.

इस भीषण हादसे में 6 से ज्यादा गौवंशों की मौके पर ही तड़प-तड़प कर मौत हो गई, जबकि 4 से अधिक गौवंश गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. हादसे के बाद चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया. सूचना मिलते ही गौ सेवक और गौ रक्षक मौके पर पहुंचे, घायल गौवंशों को इलाज के लिए गौशाला भेजा गया. पुलिस अब फरार वाहन और चालक की तलाश में जुटी है.

यह पूरा मामला बुढ़ार थाना क्षेत्र का है. जानकारी के मुताबिक, नेशनल हाईवे-43 पर पंचवटी चौराहे के समीप गौवंश सड़क पर एकत्र थे. इसी दौरान एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन गौवंशों को रौंदते हुए निकल गया. टक्कर इतनी भीषण थी कि मवेशियों को संभलने तक का मौका नहीं मिला और सड़क पर ही तड़पते हुए 6 से ज्यादा गौवंशों ने दम तोड़ दिया. हादसे को अंजाम देने के बाद बेकाबू वाहन चालक मौके से फरार होने में कामयाब रहा. सड़क पर तड़पते गौवंशों को देखकर राहगीरों और स्थानीय ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना गौ सेवकों को दी.

80 करोड़ से बनेगा कैंसर अस्पताल

- लोगों को मिलेगा समुचित उपचार : राजेंद्र शुक्ल
- आईटीएम में आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का लोकार्पण

नवभारत न्यूज

ग्वालियर, 30 जुलाई. विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं लोक स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा मंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने गुरुवार को आईटीएम हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर में आधुनिक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स, कार्डियो-थोरेसिक एवं वैस्कुलर सर्जरी आईसीयू तथा कार्डियक केयर यूनिट का लोकार्पण किया.

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने ग्वालियर में 80 करोड़ रुपये की लागत से कैंसर अस्पताल और लगभग 1,000 करोड़ रुपये की लागत से जीआर मेडिकल कॉलेज के व्यापक उन्नयन की घोषणा की.कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सरकारी और निजी क्षेत्र का समन्वय आवश्यक है. उन्होंने कहा कि ग्वालियर को चिकित्सा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि गंभीर मरीजों को उपचार के लिए दिल्ली या अन्य महानगरों का रुख न करना पड़े. उन्होंने बताया कि जीआर मेडिकल कॉलेज को अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करने की कार्ययोजना तैयार हो चुकी है तथा प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों से जुड़े अस्पतालों को एम्स की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है.

रिटायरमेंट के एक दिन पहले रिश्वत लेते बंदी इंजीनियर

06 हजार के साथ लोकायुक्त ने धर-दबोचा

ग्वालियर, 30 जुलाई. नगर निगम के कार्यपालन यंत्री सुशील कटारे को लोकायुक्त पुलिस ने गुरुवार को 6 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है.

शुक्रवार, 31 जुलाई को उनका रिटायरमेंट होना था। गुरुवार उनका सेकंड लास्ट वर्किंग डे था। निगम में स्टाफ उनकी विदाई की तैयारी में जुटा था। जलसा भव्य होना था, गिफ्ट तय हो रहे थे, खाने-पीने के इंतजाम हो चुके थे., लोकायुक्त के मुताबिक माधव नगर

निवासी कार्यपालन यंत्री कटारे ने एक ठेकेदार से 36 लाख रुपए के बिल भुगतान के एवज में एक प्रतिशत कमीशन की मांग की थी। शिकायत के बाद लोकायुक्त ने जाल बिछाया. बताया जा रहा है कि बुधवार को ही 30 हजार रुपए ले चुके थे और गुरुवार को 6 हजार रुपए लेते हुए ट्रैप हो गए।

सार्वजनिक सूचना

उधारकर्ता और सह-उधारकर्ता :- श्री सतीश चंद्रा, श्री योगेंद्र, श्रीमती आशा देवी (प्रॉस्पेक्ट संख्या 903230) बंधक रखी गई संपत्ति/ सुरक्षित संपत्ति के लिए प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के तहत जारी नीलामी नोटिस दिनांक **26-जून-2026,** प्रेषित तिथि **02-जुलाई-2026** और प्रकाशन तिथि **03-जुलाई-2026** इसके द्वारा वापस लिया जाता है, जो कि संपत्ति का वह पूरा हिस्सा और खंड है, जिसका विवरण इस प्रकार है: प्लॉट नंबर 155, गोल्डन, गैलेक्सी ग्राम, इमलीखेड़ा, तहसील सांवेर, जिला इंदौर, इंदौर, 452001, मध्य प्रदेश, भारत. क्षेत्रफल का माप (वर्ग फीट में): संपत्ति का प्रकार: भूमि_क्षेत्र, कारपेट_एरिया, सुपर_बिल्ट_अप_एरिया संपत्ति का क्षेत्रफल: 800.00, 500.00, 600.00 (इसके बाद इसे 'संपत्ति/ सुरक्षित संपत्ति' कहा जाएगा)

स्थान: इंदौर

दिनांक: 31-जुलाई-2026

हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी, फीनिक्स एआरसी लिमिटेड

(पूर्व में फीनिक्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ज्ञात)

एक नजर में

समुद्र के नीचे मेट्रो बनाई जा सकती है, तो गड्ढामुक्त सड़कें क्यों नहीं : कोर्ट

जबलपुर.मप्र हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस विवेक रूसिया व जस्टिस प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने तल्ख टिप्पणी में पूछा कि जब देश में समुद्र के नीचे मेट्रो बनाई जा सकती है, तो ऐसी सड़कें क्यों नहीं बनाई जा सकतीं जो वर्षों तक गड्ढामुक्त रहें। दरअसल, हाईकोर्ट में सड़कों के मौत के गड्ढो को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान उठे इस सवाल ने सड़क निर्माण की गुणवत्ता और सरकारी जवाबदेही पर गंभीर बहस छेड़ दी है। कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए केंद्र और राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए 224.75 करोड़ रुपए जारी

भोपाल. पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश के पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा व उज्ज्वल भविष्य को सुदृढ़ वित्तीय संबल प्रदान करने के ध्येय से शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 224 करोड़ 75 लाख की राशि स्वीकृत एवं जारी की गई है. इससे राज्य के विद्यालयों में कक्षा 9वीं एवं 10वीं में अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग के प्रतिभावान विद्यार्थियों को समयबद्ध रूप से छात्रवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे उनकी शैक्षणिक यात्रा में किसी प्रकार की आर्थिक बाधा उत्पन्न न हो. आयुक्त डॉ. सतेन्द्र सिंह ने बताया कि राज्यमंत्री कृष्णा गौर की संवेदनशीलता, सुदृढ़ मंशा एवं मार्गदर्शन के अनुरूप विभाग पिछड़े वर्ग के सर्वांगीण विकास एवं शैक्षणिक उन्नयन के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ निरंतर कार्यरत है.

गुस्ताखी माफ

विश्व स्तर पर चमका बालाघाट पुलिस का नशा मुक्ति अभियान

विशेष संवाददाता

भोपाल, 30 जुलाई. मध्यप्रदेश पुलिस के 'नशे से दूरी है ज़रूरी 2.0' अभियान के तहत बालाघाट पुलिस को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है।

जिले में चलाए गए अभिनव नशा मुक्ति जनजागरूकता अभियान के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, लंदन ने बालाघाट पुलिस को 'सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस' से सम्मानित किया है। यह सम्मान उस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए प्रदान किया गया, जिसमें बालाघाट जिले के 1,204 विद्यालयों के लगभग 1.25 लाख विद्यार्थियों ने एक साथ एक मिनट का नशा मुक्ति संकल्प

बालाघाट पुलिस 'सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस' से सम्मानित

2.0' अभियान के तहत

लेकर समाज को नशामुक्त बनाने का संदेश दिया। अभियान को व्यापक जनसमर्थन भी मिला और ऑनलाइन संकल्प के माध्यम से पाँच लाख से अधिक नागरिक इससे जुड़े। यह उपलब्धि सामुदायिक पुलिसिंग की प्रभावशीलता का उदाहरण मानी जा रही है, जिसमें विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावकों, युवाओं और आम नागरिकों की सक्रिय भागीदारी ने अभियान को जनआंदोलन का स्वरूप दिया। प्रदेशभर में संचालित इस अभियान के अंतर्गत पुलिस द्वारा विद्यालयों और महाविद्यालयों में जागरूकता रैलियां, शपथ समारोह, संवाद कार्यक्रम, खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधियां प्रतियोगिताएं आयोजित कर युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया जा रहा है।

> इससे पहले इंदौर पुलिस कमिश्नरेट, बड़वानी पुलिस और बुरहानपुर पुलिस को भी नशा मुक्ति जागरूकता अभियानों में रिकॉर्ड स्तर की जनभागीदारी के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, लंदन से सम्मान प्राप्त हो चुका है। मध्यप्रदेश पुलिस ने नागरिकों से अभियान में सक्रिय सहयोग देकर स्वस्थ, सुरक्षित और नशामुक्त समाज के निर्माण में सहभागी बनने की अपील की है।

कच्चे कुएं में डूबने से दो मासूम चचेरे भाई-बहन की मौत

नवभारत न्यूज

शहडोल, 30 जुलाई . मध्यप्रदेश में शहडोल जिले के गोहपारू थाना क्षेत्र के खोहरी गांव में एक कच्चे कुएं में डूबने से दो मासूम चचेरे भाई-बहन की मौत हो गई. पुलिस सूत्रों के अनुसार तीन वर्षीय प्रयाग सिंह और चार वर्षीय साल्वी गोंड़ बुधवार दोपहर घर के पास खेलते-खेलते लापता हो गए थे. शाम को धान की रोपाई कर उनके परिजन खेत से लौटे तो बच्चों की तलाश शुरू की गई. रात करीब आठ बजे घर के समीप स्थित एक कच्चे कुएं में दोनों बच्चों के शव दिखाई देने पर पुलिस को सूचना दी गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए गोहपारू अस्पताल भेज दिया.

एटीएम में डकैती की योजना की नाकाम

छिंदवाड़ा. मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा जिले की देहात थाना पुलिस ने एटीएम में डकैती की साजिश रच रहे दो आरोपियों और एक विधि-विरुद्ध बालक को गिरफ्तार कर वारदात को विफल कर दिया. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से तलवार, चाकू, हथौड़ी और लोहे की रॉड बरामद की है, जबकि दो आरोपी मौके से फरार हो गए. देहात थाना प्रभारी गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि खजरी शराब भट्टी के पास स्थित एक एटीएम में डकैती की योजना बनाई जा रही है. सूचना के आधार पर पुलिस ने मौके पर घेराबंदी कर दबोच लिया. कार्रवाई के दौरान नीरज उर्फ टूटू उईके (18) निवासी ढीमराढाना, राहुल टेकाम (19) निवासी ढीमराढाना तथा एक विधि-विरुद्ध बालक को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि परस उर्फ परसराम सूर्यवंशी निवासी अमन कॉलोनी और कटर उर्फ अभिषेक यादव निवासी गुलाबरा झाड़ियों का फायदा उठाकर फरार हो गए.

औषधि विभाग की मेडिकल स्टोर्स पर कार्रवाई

नवभारत न्यूज

रीवा, 30 जुलाई, औषधि निरीक्षक दल ने सिरमौर तहसील स्थित मेडिकल स्टोर्स पर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम की जांच के लिए सघन छापामार कार्रवाई की. निरीक्षण के दौरान दवाइयों के रखरखाव के साथ-साथ खरीदी-बिक्री के अभिलेखों की गहन जांच की गई. छापा मार की जानकारी मिलते ही अधिकांश दुकानदार दुकान बंद कर निकल गये. कार्रवाई के दौरान गौतम मेडिकल स्टोर्स, बघेल मेडिकल स्टोर्स, गुप्ता मेडिकल स्टोर्स, आशीष मेडिकल, मां पीताम्बरा मेडिकल स्टोर, धन्वन्तरि मेडिकल सहित कुल 8 मेडिकल स्टोर्स का निरीक्षण किया गया. जांच की सूचना मिलते ही कई मेडिकल स्टोर संचालक अपनी दुकानें बंद कर मौके से चले गए. औषधि निरीक्षक राधेश्याम वट्टी ने बताया कि खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश के नियंत्रक मनोज कुमार पुष्प के निर्देशानुसार जिले के सभी मेडिकल स्टोर्स का निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है. जांच के आधार पर प्रतिवेदन तैयार किए जा रहे हैं तथा संबंधित संचालकों को शीघ्र ही कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर जवाब मांगा जाएगा. उन्होंने बताया कि नियमों का उल्लंघन करने वाले तथा दवाइयों के अभिलेखों का समुचित संधारण नहीं करने वाले मेडिकल स्टोर्स के विरुद्ध लाइसेंस निलंबित करने से लेकर निरस्त करने तक की कार्रवाई की जाएगी. प्रदेशभर में यह विशेष अभियान लगातार कई दिनों तक संचालित किया जाएगा ताकि औषधियों की बिक्री में पारदर्शिता एवं नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सके. कार्रवाई के दौरान औषधि निरीक्षक रेशु ठाकुर एवं श्रेया जैन भी टीम के साथ उपस्थित रहीं.

सिरमौर सहित 8 दुकानों की जांच

कार्रवाई | कनकधारा वेयरहाउस सील, तीन जिम्मेदारों पर एफआईआर

सरकारी मूंग में 28 करोड़ की मिलावट का मामला

नवभारत न्यूज़

नर्मदापुरम, 30 जुलाई . माखननगर स्थित कनकधारा वेयरहाउस में समर्थन मूल्य पर खरीदी गई सरकारी मूंग में बड़े पैमाने पर मिट्टी की मिलावट का मामला सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है.

कलेक्टर सोमेश मिश्रा के निर्देश पर वेयरहाउस को सील कर दिया गया है तथा वेयरहाउस संचालक समेत तीन जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. जांच में शासन को करीब 28.14 करोड़ रुपये की आर्थिक क्षति होने का अनुमान जताया गया है. एसडीएम देवेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में गठित संयुक्त जांच दल ने 22 जुलाई को ग्राम गुराड़िया कला स्थित कनकधारा वेयरहाउस में संग्रहित 62,862 बोरियों के 23 स्टेकों का औचक निरीक्षण किया. जांच के दौरान कई बोरियों में निर्धारित मानक से अधिक मिट्टी एवं बाहरी पदार्थ पाए गए, जबकि कुछ बोरियां पूरी तरह मिट्टी से भरी मिलीं. गंभीर अनियमितता सामने आने पर वेयरहाउस को तत्काल प्रभाव से सील कर सभी स्टेकों से नमूने लेकर प्रयोगशाला भेजे गए.

62 हजार बोरियों की जांच में मिली मिट्टी से भरी बोरियां

कलेक्टर सोमेश मिश्रा के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई

प्रयोगशाला रिपोर्ट में वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 के दौरान मार्कफेड और नाफेड के खाते में भंडारित 31,298.89 क्विंटल मूंग में मिट्टी की मिलावट की पुष्टि हुई. जांच में यह भी सामने आया कि इस गड़बड़ी से मध्य प्रदेश शासन को लगभग 28.14 करोड़ रुपये की आर्थिक हानि हुई है.

उप्र के फरार जालसाज का तीन साल बाद जबलपुर में सरेंडर

जबलपुर. उत्तर प्रदेश के मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलाने के नाम पर शहर के एक 19 वर्षीय छात्र को जालसाज ने शिकार बनाया था आरोपी ने नीट परीक्षा में कम अंक होने के बावजूद एडमिशन दिलाने का झांसा देकर 12 लाख रुपये हड़प लिए थे. इस मामले में फरार उप्र के एक जालसाज ने 3 साल बाद जबलपुर पहुंचकर संजीवनी नगर थाने में सरेंडर कर दिया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया जहां से उसे जेल भेज दिया गया है.गंगा नगर गढ़ा निवासी 19 वर्षीय जतिन कोष्टा ने नीट की परीक्षा दी थी, जिसमें उसे 146 अंक मिले थे.

pnb Housing Finance Limited Ghar Ki Baat

रजि. कार्यालय: 9वीं मंजिल, अंतरिक्ष भवन, 22, के.जी.मार्ग, नई दिल्ली-110001, फोन: 011-23357171, 23357172, 23705414,

वेब:- www.pnbhousing.com

शाखा का पता:- प्रथम तल, प्लॉट नं.40, एम.एन. 39, सर्वे नं.37, मीरा कॉलोनी, ग्राम कित्यानी, रानी लक्ष्मी बाई चौराहा, संजीत नाका, मंदसौर-458001, मध्य प्रदेश.

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अध्याय III की धारा 13 (2) के तहत नोटिस, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 (1) के साथ पढ़ा जाए, दिनांकानुसार संशोधित. हम, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (इसके बाद 'पीएनबीएचएफएल' के रूप में संदर्भित) ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अध्याय III की धारा 13 (2) के तहत मांग नोटिस जारी किया है. उक्त मांग नोटिस हमारे अधिकृत अधिकारी के माध्यम से नीचे उल्लिखित सभी उधारकर्ताओं/सह-उधारकर्ताओं/गारंटरों को जारी किया गया है, क्योंकि किश्तों/ब्याज के भुगतान न होने के कारण भारतीय रिजर्व बैंक/राष्ट्रीय आवास बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार आपके खाते को गैर-निष्पादित (एनपीए) परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है. इस नोटिस में आपके द्वारा मूलधन, ब्याज आदि की किश्तों के भुगतान में की गई चूक का विवरण दिया गया है. इसके अलावा, हम कारण सहित यह मानते हैं कि आप मांग नोटिस की तामील से बच रहे हैं, इसलिए हम यह मांग नोटिस प्रकाशित कर रहे हैं, जो उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत आवश्यक है. आपको इस मांग नोटिस के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर पीएनबीएचएफएल को उपरोक्त राशि का भुगतान अद्यतन ब्याज और शुल्क सहित करने के लिए कहा जाता है. ऐसा न करने पर, पीएनबीएचएफएल उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के सभी या किसी भी प्रावधान के तहत आवश्यक कार्रवाई/उपाय करेगा, जिसमें उधारकर्ताओं और गारंटरों की सभी या किसी एक या अधिक सुरक्षित संपत्तियों पर कब्जा करना भी शामिल है. कृपया प्रतिभूतिकरण और वित्तीय परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण एवं सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर ध्यान दें, जिसके तहत आप सार्वजनिक नीलामी, बोलियां आमंत्रित करके, जनता से निविदाएं आमंत्रित करके या निजी समझौते द्वारा सुरक्षित परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए नोटिस प्रकाशित होने की तिथि तक ही पीएनबी एचएफएल द्वारा किए गए सभी लागतों, शुल्कों और व्ययों सहित बकाया राशि का पूरा भुगतान कर सकते हैं. इसके अतिरिक्त, उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के तहत आपको बिक्री, पट्टे या किसी अन्य तरीके से उपर्युक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों का हस्तांतरण करने से प्रतिबंधित किया गया है.

क्र.	ऋण खाता नं.	ऋणकर्ता और सह-ऋणकर्ता(ओं) का नाम/पता	गारंटर(ओं) का नाम और पता	गिरवी रखी गई संपत्ति	मांग सूचना की तिथि	वर्तमान तिथि तक बकाया राशि मांग सूचना
1.	**एचओयू/ आरएमएएन /0623/112 26 95 बी.ओ.: मन्दसौर**	**1. श्री/श्रीमती मनोहर सिंह राजपूत (उधारकर्ता), 2. श्री/श्रीमती टीका कुंवर (सह-उधारकर्ता), दोनों यहां हैं:** वार्ड एन 15, माकन एन26, फतेहपुर, चिकाली, फतेहपुर, मंदसौर, मध्य प्रदेश, भारत, 458990. **यहां भी:** घर स्थित है, घर का पंजीकरण नंबर 26, पटवारी हल्का नंबर 25, ग्राम फतेहपुर चिकाली, तहसील मल्हारगढ़, जिला मंदसौर, मल्हारगढ़, मध्य प्रदेश, 458990.	**लागू नहीं**	**सुरक्षित संपत्ति का विवरण:** मकान, मकान पर स्थित है पंजीयन क्रमांक 26, पटवारी हल्का नंबर 25, गांव फतेहपुर चिकाली, तह. मल्हारगढ़, जिला मंदसौर, मल्हारगढ़, मध्य प्रदेश, 458990।	**07-07-2026**	**रु. 8,56,720.16** (रु. आठ लाख छप्पन हजार सात सौ बीस और पैसा सोलह मात्र) दिनांक 07-07-2026 देय

स्थान: मन्दसौर, दिनांक: 31-7-2026 **हस्ता./- अधिकृत अधिकारी, मेसर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**

ई-नीलामी सह बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना

IIFL होम फाइनेंस लिमिटेड (IIFL-HFL) के कॉर्पोरेट कार्यालय प्लॉट संख्या 98, उद्योग विहार, फेज-IV, गुड़गांव-122015 (हरियाणा) तथा शाखा कार्यालय- हाउस नं. 176, स्कीम नं. 97, स्लाइस-4, नियर नर्मदा स्क्वायर, गोपुर स्क्वायर के बाद, इंदौर-452001 में वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसके बाद 'अधिनियम') के अंतर्गत बंधक रखी गई अचल संपत्ति की बिक्री। जबकि IIFL-HFL के प्राधिकृत अधिकारी ('AO') ने निम्नलिखित ऋण खातों/संभावना संख्याओं में अधिनियम की धारा 13(2) के तहत जारी नोटिस के अनुसार निम्नलिखित संपत्ति/संपत्तियों का कब्जा ले लिया था. आईआईएफएल-एचएफएल के बकाये की वसूली के लिए 'जहां है जैसा है, जो है जैसा है तथा बिना किसी सहारे के आधार पर' इसे बेचने के अधिकार के साथ, बिक्री वेबसाइट: www.iiflonehome.com पर उपलब्ध कराए गए ई-नीलामी मंच के माध्यम से नीचे हस्ताक्षरकर्ता द्वारा की जाएगी.

देनदार/सहदेनदार/ गारंटर का नाम	डिमांड नोटिस की तिथि व राशि	अचल संपत्ति/ सुरक्षित संपत्ति का विवरण	भौतिक कब्जा तिथि	रिजर्व मूल्य
श्री गौतम चौरसिया श्रीमती पूजा चौरसिया पटेल स्टूडियो (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल10279883)	**20/05/2025 रुपये 1707926/-** (रु. सत्रह लाख सात हजार नौ सौ छब्बीस मात्र) **बोली वृद्धि राशि रुपये 40000/-** (रु. चालीस हजार मात्र)	संपत्ति का वह भाग और हिस्सा फ्लैट संख्या 101, पहली मंजिल, शक्ति अपार्टमेंट, प्लॉट संख्या 470, आईडीए, योजना संख्या 114-1, इंदौर, 452001। क्षेत्रफल वर्ग फुट में: संपत्ति का प्रकार: निर्मित क्षेत्र, सुपर निर्मित क्षेत्र संपत्ति का क्षेत्रफल: 630.00, 851.00	**08/06/2026** दिनांक 06/07/2026 तक कुल बकाया राशि रुपये 2034094.68 (रु. बीस लाख चौंतीस हजार चौरानवे और पैसा अड़सठ मात्र)	**रुपये 2646000/-** (रु. छब्बीस लाख छियालीस हजार मात्र) **बयाना जमा राशि रुपये 264600/-** (रु. दो लाख चौंसठ हजार छह सौ मात्र)

प्रॉपर्टी निरीक्षण दिनांक	ईएमडी की अंतिम दिनांक	ई-नीलामी दिनांक/समय
31/8/2026 11.00-14.00 बजे	**1/9/2026 के 5.00 बजे तक**	**3/9/2026 11.00 से 13.00 बजे**

भुगतान का तरीका- ईएमडी भुगतान केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से किया जाना है. भुगतान करने के लिए आपको https-//www.ifionehome.com पर जाना होगा और केवल संपत्ति/सुरक्षित संपत्ति के लिए उपलब्ध लिंक के माध्यम से भुगतान करना होगा. **नोट-** प्रत्येक संपत्ति/सुरक्षित संपत्ति के लिए भुगतान लिंक अलग-अलग है. सुनिश्चित करें कि आप उस संपत्ति/सुरक्षित संपत्ति के लिंक का उपयोग कर रहे हैं जिसे आप सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से खरीदना चाहते हैं. **शेष भुगतान के लिए -** https-//www.iiflonehome.com >मेरी बोली >शेष राशि का भुगतान करें पर लॉग इन करें.

नियम एवं शर्तें:-

1. ई-नीलामी में भाग लेने के लिए इच्छुक बोलीदाताओं को सेवा प्रदाता https-//www. iiflonehome.com के पास अपना विवरण पहले से पंजीकृत करना होगा तथा लॉगिन खाता, लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाना होगा. इच्छुक बोलीदाताओं को उपरोक्त शाखा कार्यालय में ईएमडी के भुगतान विवरण, केवाईसी की प्रति तथा पैन कार्ड के साथ अपना 'निविदा प्रपत्र' जमा/भेजना होगा.
2. बोलीदाताओं को 'बोली वृद्धि राशि' कॉलम के अंतर्गत उल्लिखित राशि के गुणकों में अपनी पेशकश में सुधार करना होगा. यदि बोली नीलामी के समापन समय के अंतिम 5 मिनट में लगाई जाती है, तो समापन समय स्वत: ही 5 मिनट के लिए बढ़ जाएगा.
3. सफल बोलीदाता को बोली राशि का 25% (ईएमडी समायोजित करने के बाद) एओ द्वारा बोली मूल्य की स्वीकृति के 24 घंटे के भीतर तथा बोली राशि का शेष 75% सुरक्षित लेनदार द्वारा बिक्री की पुष्टि की तिथि से 15 दिनों के भीतर जमा करना होगा. सभी जमा और भुगतान निर्धारित भुगतान विधि से किए जाएंगे.
4. क्रेता को उपकर, लागू स्टाम्प शुल्क, फीस और कोई अन्य वैधानिक बकाया या अन्य बकाया जैसे नगरपालिका कर, बिजली शुल्क, भूमि और अन्य सभी आकस्मिक लागत, संपत्ति से संबंधित सभी करों और दरों सहित प्रभारों का भुगतान करना होगा.
5. क्रेता को बिक्री राशि के लेन-देन/भुगतान पर टीडीएस आवेदन का भुगतान करना होगा और आईआईएफएल एचएफएल के साथ टीडीएस प्रमाण पत्र जमा करना होगा.
6. बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे ई-नीलामी बिक्री कार्यवाही में भाग लेने के लिए अपनी बोलियाँ जमा करने से पहले नीलामी बिक्री और नीलामी आवेदन पत्र की विस्तृत शर्तों के लिए वेबसाइट https-//www.iiflonehome.com और https-//www.iifl.com/home-loans/properties-for-auction देखें.
7. ई-नीलामी पर विस्तृत जानकारी, सहायता प्रक्रिया और ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए संभावित बोलीदाता सेवा प्रदाता की ईमेल आईडी: care@iiflonehome.com, सहायता हेल्पलाइन नंबर: @1800 2672 499 पर संपर्क कर सकते हैं.
8. संपत्ति के विवरण, संपत्ति के निरीक्षण और ऑनलाइन बोली आदि से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए, सोमवार से शुक्रवार के बीच 09:30 बजे से 18:00 बजे तक IIFL HFL टोल फ्री नंबर 1800 2672 499 पर कॉल करें या ईमेल करें: care@iiflonehome.com
9. उपरोक्त उधारकर्ताओं को यह नोटिस दिया जाता है कि वे 7 दिनों के भीतर भौतिक कब्जे में लेने के समय सुरक्षित संपत्ति में पड़े घरेलू सामान को इकट्ठा करें, अन्यथा IIFL-HFL परिस्थितियों में संपत्ति के किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा.
10. इसके अलावा उधारकर्ताओं को यह नोटिस दिया जाता है कि यदि वे उपरोक्त सामान इकट्ठा करने में विफल रहते हैं तो उन्हें कानून के अनुसार बेचा जाएगा.
11. यदि सफल बोलीदाता/नीलामी क्रेता द्वारा किसी भी स्तर पर निर्धारित समय के भीतर भुगतान में चूक की जाती है, तो बिक्री रद्द कर दी जाएगी तथा पहले से भुगतान की गई राशि (ईएमडी सहित) जब्त कर ली जाएगी तथा संपत्ति को फिर से बिक्री के लिए रखा जाएगा.
12. एओ बिना कोई कारण बताए निविदा/नीलामी की शर्तों को स्थगित/रद्द या बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है. निविदा/नीलामी में किसी भी विवाद की स्थिति में, आईआईएफएल-एचएफएल के एओ का निर्णय अंतिम होगा।

सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 8 (6) के तहत वैधानिक 30 दिन की बिक्री सूचना

उधारकर्ता को निविदा/नीलामी की तिथि से पहले ऊपर उल्लिखित राशि के साथ-साथ अद्यतित ब्याज और सहायक व्यय का भुगतान करने के लिए अधिसूचित किया जाता है, ऐसा न करने पर संपत्ति की नीलामी/बिक्री की जाएगी और यदि कोई बकाया है तो उसे ब्याज और लागत के साथ वसूल किया जाएगा.

स्थान- इन्दौर, दिनांक- 31-7-2026 **एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी, आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड**